उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-68/2020/932/92-2-20-97एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 27 मई , 2020

कार्यालय-ज्ञाप

पी0आई0यू0-मेरठ में कार्यरत रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के पैकेज सं0-यूपी-5263 के अंतर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग एम0आर0एल0-04-अटेर्ना से मिलक (नहर पटरी) वाया कुलंजन का नेशनल क्वालिटी मॉनीटर (एन0क्यू0एम0) के निरीक्षण दिनांक 17-01-2018 एवं स्टेट क्वालिटी मॉनीटर (एस0क्यू0एम0) के निरीक्षण दिनांक 24-12-2017 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2020/246/92-2-20-97एम/ 2019 दिनांक 22-01-2020 द्वारा श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्का0 सहायक अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-04-2020 को सेवानिवृत्त हो गये है।

2- अतएव अपचारी अधिकारी, श्री सुधीश कुमार त्यागी के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-68/2020/932(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पीआईयू-मेरठ समप्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in